



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गोड्डा।
eengbcdgodda-jhr@nic.in

पत्रांक—
प्रेषक,

/गोड्डा,दिनांक—

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

विषय —

जिला सूचना एवं जन — सम्पर्क पदाधिकारी,
गोड्डा।

अति अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०:- BCD/EE,Godda/06/Godda/2019- 20
प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं० :-
BCD/EE,Godda/06/Godda/2019- 20 प्रकाशन हेतु संलग्न कर समर्पित की जाती है।

अतः आग्रह है कि उपरोक्त निविदा बिहार एवं झारखंड के समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की
कृपा की जाय।

इस क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति का मिलान किया गया है।

अनु०— यथोक्त।

Email I.D :- eengbcdgodda-Jhr@nic.in

श्री राज कुमार राजेश, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोड्डा।

मो० नं० :- 8987675852

श्री प्रहलाद मंडल, मैसेंजर।

मो० नं० :- 7250138075

विश्वासभाजन,

ह०/—

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

ज्ञापांक — 818

/गोड्डा, दिनांक — 22-08-2019

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

22/08/2019



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गोड्डा।

अति अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०- 06/2019-20

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोड्डा।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :- दिनांक :- 04.09.2019 को अपराह्न 1.00 बजे तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक :- 05.09.2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
4. निविदा खोलने का तिथि एवं समय :- दिनांक :- 05.09.2019 को अपराह्न 3.30 बजे।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थल :- 1. नगर थाना, गोड्डा।
2. कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन प्रमंडल, गोड्डा।
3. अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, भवन अंचल, दुमका।
:- क्रमांक 5 में वर्णित स्थान पर।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान
7. कार्य की विवरणी निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मुख्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Construction of Tahshil Kutchehary - Cum- Halka Karmchari's Residence at Rohrdha under Boarijore Block, Godda for the year 2019-20.	40,89,062 /-	5,000 /-	81,800 /-	छः माह
2	Construction of Tahshil Kutchehary- Cum- Halka Karmchari's Residence at Lakarmara under Meharma Block, Godda for the year 2019-20.	40,89,062 /-	5,000 /-	81,800 /-	छः माह

निविदा की शर्तें- www.Jharkhand.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

22/8/2019

निविदा की शर्तें-

1. परिमाण विपत्र की स्वीकृति के आधार पर निविदा की राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि में परिवर्तन हो सकता है।
2. काली सूची अनापत्ती शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य है।
3. परिमाण विपत्र कय हेतु निविदाकारों को भवन निर्माण विभाग के सक्षम पदा0 द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र, अद्यतन घरित्र प्रमाण-पत्र(उपायुक्त या आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत), पेन कार्ड एवं अद्यतन आयकर रिटर्न अनुरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, UCAN,G.S.T निबंधन एवं G.S.T अद्यतन रिटर्न की छाया प्रति जो स्वअभिप्रमाणित हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा उक्त सभी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण विपत्र में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्रॉपट/बैंक्स चेक के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञापित होगा, जो भारतीय स्टेट बैंक से निर्गत एवं जो भारतीय स्टेट बैंक, गोड्डा में भुगतये हो।
5. अग्रधन की राशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञित झारखण्ड राज्य के किसी डाकघर/बैंक से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/झारखण्ड राज्य के किसी अनुसूचित बैंक से निर्गत फिक्स डिपोजिट रसीद/झारखण्ड राज्य के किसी अनुसूचित बैंक से निर्गत बैंक से निर्गत बैंक गारंटी के रूप में जिसकी बैधता निविदा खुलने के 180 दिनों के लिए हो मान्य होगा।
6. बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
8. परिमाण विपत्र कय करने के लिए निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्यालय में उपस्थित होंगे।
9. सरकार द्वारा स्वीकृत की गई वर्तमान न्यूनतम दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा डालने के पूर्व प्राक्कलन एवं अन्य शर्त आदि के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य दिवस में सम्पर्क करें। निविदादाता अपने खर्च पर कार्य स्थल का निरीक्षण तथा निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता एवं कार्य स्थल से इनके स्रोत की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तदनुसार संतुष्ट होकर निविदा में भाग लेंगे बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. निविदादाताओं को संबंधित कार्य का एक समयबद्ध कार्यक्रम समर्पित करना होगा, जो एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा।
12. निविदादाता को अपना दर परिमाण विपत्र में निर्धारित स्थान में होगा एवं निविदादाता परिमाण विपत्र की दर से 10% (दस प्रतिशत) कम तक अपना दर अंकित कर सकते हैं। दस प्रतिशत की कम सीमा से आगे कम दर मान्य नहीं होगा।
13. कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, छड़, चीप्स, ईट, बालु आदि का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं सामग्री का रख-रखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था संवेदक को अपने निजी खर्च पर वहन करना होगा।
14. जिन कार्यों में छत का निर्माण/मरम्मत करनी हो, उसमें समाप्ति के पश्चात एक बरसात के बाद ही अग्रधन की राशि विमुक्त की जायेगी।
15. कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं बिजली एवं पानी की व्यवस्था करनी होगी।
16. संवेदक के द्वारा कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का गुण नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्रत्येक विपत्र के साथ देना होगा।
17. कार्य आवंटन के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर एफ-2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा विलंब होने पर अग्रधन की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।
18. एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। किसी भी प्रकार का अवधि विस्तार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
19. निविदा कागजात एवं संलग्न सभी कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर संवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
20. कार्य स्थल पर संवेदक को साईन बोर्ड लगाना होगा एवं समय-समय पर कार्य स्थल का फोटो अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
21. भवन हस्तांतरण के पश्चात ही अंतिम विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
22. कार्यों का भुगतान निधि उपलब्ध होने के उपरान्त ही किया जायेगा इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
23. सरकार के सचिव, भ0नि0वि0, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0- 3855 दि0- 31.12.15 द्वारा निर्गत झारखण्ड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली 2015 में निहित आदेश के आलोक में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
24. संवेदक को अंक एवं शब्द दोनों में दर भरना अनिवार्य होगा।
25. संवेदक का कार्यस्थल पर कार्य के दौरान स-शरीर उपस्थिति अनिवार्य है।
26. कार्य की महत्ता को देखते हुए अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार सिफ्ट-वार (लगातार) कार्य कराना अनिवार्य है।
27. निविदा में संलग्न वर्क-प्रोग्राम के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के स्थिति में कानूनी कार्य की जाएगी।
28. कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य आवंटन के चौबीस घंटा के अन्दर एकरारनामा कर स-समय कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है।

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, गोड्डा।